संख्या /XIV-1/2007

प्रेषक,

बी0आर0टम्टा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड, शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग– 1 देहरादून दिनांक 16 मार्च, 2007

विषय–वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु सहकारी न्यायाधिकरण की आयोजनेत्तर पक्ष के विभिन्न मदों में पुनर्विनियोग की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 84/सह0 न्याया0/2006–07 दिनांक 29.1.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में मानक मद–16 व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये 85,000.00 एवं मानक मद–27 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में रूपये 100,000.00 एवं मानक मद संख्या 06– अन्य भत्ते में रू0 115,000.00 अर्थात् कुल रूपये 300,000.00 (रू0 तीन लाख मात्र) संलग्न पुनर्विनियोग की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है।

(1) उक्त व्यय को करते समय मितव्ययता के विषय में निर्गत आदेशों, बजट मैनुअल एवं समय समय पर जारी तद्विषयक आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह की 20 तारीख तक या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग तथा महालेखाकार को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(4) धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(5) इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुदान संख्या 18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2425–सहकारिता आयोजनेत्तर–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–05 सहकारिता न्यायाधिकरण–00–16–व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये भुगतान। 00–27–विविधता व्यय प्रतिपूर्ति एवं–00–06– अन्य भत्ते के नामें डाला जायेगा जिसे संलग्न पुनर्विनियोग के कालम –1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 पत्र संख्या–961/वित्त अनुभाग–4/दिनांक 07.03.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जाये रहे है।

भवदीय,

(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव।

संख्या (1)/XIV–1/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक ,एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या 83/XIV-1/2007 दिनांक 16/3/

विभाग का नाम–सहकारिता विभाग

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान लेखा शीर्षक का नाम	मानक मदवार अघ्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में अनुमानिक व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की गई	पुनर्विनियोग बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2425–सहकारिता आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 00–05–सहकारी न्यायाधिकरण 17– किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व– 360.00	–	–	360.00	2425–सहकारिता आयोजनेत्तर 001– निदेशन तथा प्रशासन 00– 05–सहकारी न्यायाधिकरण 16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान 85 27– चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति 100.00 06–अन्य भत्ते 115.00	110.00 110.00 225.00	60.00	1.किराया उप शुल्क एवं कर स्वामित्व मद में कोई व्यय न किये जाने के कारण बचत। 2.व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये एवं चिकित्सा व्यय को प्रतिपूर्ति तथा अन्य भत्ते मद में आवश्यकता
योग– 360.00	–	–	360.00	300.00	445.00	60.00	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150 से 156 में उल्लेखित प्राविधानो एवं सीमाओ का उल्लघंन नही होता है।

(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
संख्या /वि0अनु0–4/2007
देहरादून दिनांक फरवरी, 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त

सेवा मे,
महालेखाकार (लेखा)
उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।

संख्या 53 / xiv–1/2007 दिनांक फरवरी, 2007
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मीरोड़ देहरादून।
2–अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड ।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तराखण्ड देहरादून।
4–वित्त संसाधन अनुभाग–2उत्तराखण्ड शासन।
5–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
6– गार्ड पत्रावली हेतु ।

आज्ञा से,
(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव,